फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

मालू — बनाम — पांचूराम

मुकदमा संख्या / वर्ष : 166/2016

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	01/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रारम्भिक कुरैजात पर सुनी गई। प्रारम्भिक कुरैजात पर वकील उभय पक्षों ने स्वीकार हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि० को आवेदन रूप में स्वीकार किया जाकर वाद को मुताबिक कुरैजात तकासमा हेतु निर्णीत किया जाता है तथा बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज्ञापत्र इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजा दर्ज रजिस्टर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
166/2016	03/10/2016	01/10/2024

1. नाथू पुत्र रूघनाथ जाति बलाई निवासी ग्राम गांवली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
वादी

बनाम

1. पांचूराम पुत्र देव्या
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र देव्या
3. लक्ष्मी पुत्र धन्ना
4. पाच्या पुत्र धन्ना
5. गोपाल पुत्र देव्या
6. फूलचन्द पुत्र देव्या
7. जगदीश पुत्र देव्या
8. प्रकाश पुत्र देव्या
9. रामेश्वर पुत्र रूघनाथ
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम गांवली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राज्य सरकार जरिये नाबयत तहसीलदआर आंधी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशन लाल :– वकील वादी।
श्री सत्यपाल गुर्जर :– वकील प्रतिवादी सं0 1, 5 ता 8

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम गांवली, तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 222 रकबा 0.33है0, खसरा नम्बर 223 रकबा 5.67है0 भूमियां है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 15.05.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उप0 वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम गांवली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

क्रम संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
1	लक्ष्मीनारायण, पांचूराम, गोपाल, फूलचन्द, जगदीश, प्रकाश पि0 देव्या हि0 1/4, रामेश्वर, नाथू पि0 रूघनाथ हि0 1/4, लक्ष्मी, पांच्या पित0 धन्ना हि0 1/4, सांवताराम , रामकरण पि0 भैरूराम हि0 1/6 बिला रहन, परसा पुत्र मु0 बिरदा हि0 1/12 राहिन सिडीकेट बैंक शाखा आंधी जाति बलाई सा0देह खातेदार।	222 223	0.03 5.67	गै0मु0चाह चाही 3	—
	योग	किता 2	5.70	—	—

—: प्रस्तावित :—

क्र0सं0 संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	लक्ष्मीनारायण, पांचूराम, गोपाल, फूलचन्द, जगदीश, प्रकाश पि0 देव्या जाति बलाई सा0देह खातेदार	223/1 223/5 223/10	0.4700 0.6350 0.3100	चाही 3 चाही 3 चाही 3	—
	योग	किता 3	1.4150	—	—
2	दुलीचन्द, विनोद पि0 रामेश्वर, भोरी पत्नि रामेश्वर, सन्तोष, राजा पुत्रीयान रामेश्वर हि0 1/2 नाथू पुत्र रूघनाथ हि0 1/2 जाति बलाई सा0देह खातेदार	223/2 223/6 223/8	0.5000 0.5900 0.3200	चाही 3 चाही 3 चाही 3	—
	योग	किता 3	1.4150	—	—
3	लक्ष्मी, पाच्या पि0 धन्ना जाति बलाई सा0देह खातेदार	223/3 223/4	0.6000 0.8150	चाही 3 चाही 3	—
	योग	किता 2	1.4150	—	—
	नानगराम, दिनेश पि0 परसा, गोमा, सावित्री, सुगना पुत्रीयान परसा, गंढी पत्नि परसा हि0 1/12 राहिन सिडीकेट बैक शाखा आंधी, मांगीराम पि0 सांवताराम, कसनी पत्नि सांवताराम हि0 1/12, रामकरण पुत्र भैरूराम हि0 1/12 जाति बलाई सा0देह खातेदार	223/7	1.4150	चाही 3	—
	योग	किता 1	1.4150	—	—
	शामिलात	222 223/9	0.03 0.01	गै0मु0चाह चाही 3	—
	योग	किता 2	0.04	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग—अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ